

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक ०२/०८/२०१९

संख्या-२/एम-३६/२०१९-१५५३(२) /स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (फिजिशियन) डा० सिद्धार्थ सिंह, सम्प्रति सहायक प्राध्यापक (संविदा) औषधि विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना का चयन इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में सहायक प्राध्यापक (जेनरल मेडिसिन ट्रॉमा एवं इमरजेन्सी) के पद पर होने के उपरान्त डा० सिद्धार्थ सिंह ने दिनांक २९.०५.२०१९ को अपना त्यागपत्र प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को समर्पित किया ।

२. समीक्षोपरान्त डा० सिद्धार्थ सिंह का त्यागपत्र दिनांक-२९.०५.२०१९ के पूर्वाह्न के प्रभाव से स्वीकार करते हुए इनकी सेवा समाप्त की जाती है।

३. बिहार पेंशन नियमावली के नियम-१०१(क) के तहत डा० सिद्धार्थ सिंह के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण इन्हें पेंशन से सम्बन्धित लाभ, अर्जित अवकाश एवं अन्य सेवान्त लाभ भुगतेय नहीं होगा।

४. प्रस्ताव में माननीय मंत्री स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-  
(अनिल कुमार)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-२/एम-३६/२०१९-१५५३(२)

पटना, दिनांक ०२/०८/२०१९

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव वित्त (वे०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग / उप सचिव, वित्त विभाग/ प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ विभागाध्यक्ष, फिजिशियन विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ डा० सिद्धार्थ सिंह, सम्प्रति सह-सहायक प्राध्यापक (संविदा) औषधि विभाग पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

०२.८.२०१९  
सरकार के संयुक्त सचिव